निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 **पटना, बुधवार,** 4 आषाढ़ 1947 (श0)
25 जून 2025 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**02-29**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**30-32**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

16 जून 2025

सं० 1/श्रम वि०स्था०–(1)10–18/2023 श्र०सं०/31––बिहार श्रम सेवा (तकनीकी–कारखाना निरीक्षक) के श्री आशीष भारत की कारखाना निरीक्षक के पद पर दिनांक 25.08.2024 के प्रभाव से सेवा संपुष्ट की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

16 जून 2025

सं० 1/श्रम वि०स्था०–(1)10–34/2017 श्र०सं०/32––बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के श्री घनश्याम रविदास की श्रम अधीक्षक के पद पर दिनांक 08.01.2023 के प्रभाव से सेवा संपुष्ट की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

16 जून 2025

सं० 1/श्रम वि०स्था०–(1)10–34/2017 श्र०सं०/33––बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के श्री अश्विनी कुमार की श्रम अधीक्षक के पद पर दिनांक 17.06.2023 के प्रभाव से सेवा संपुष्ट की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7396––**गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के आर0 एस0 ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के लखनौर अंचल के आर0 एस0 ओ0पी0 के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित "**आर0 एस0 थाना"** के अन्तर्गत शामिल किया जाता है :–

क्र0	पंचायत का नाम	क्र0	गांव का नाम		प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या	थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	मदनपुर	1	रतौल	Rataul	240	पूर्व से आर0एस0 ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		2	सोहराज	Sohraj	242	
		3	मदनपुर राही टोल	Madanpur Rahi Tol	241	
2	बेरमा	4	बेरमा जगदार	Berma Jagdar	227	
		5	बिजलीपुर	Bijlipur	229	
		6	भखरौली	Bhakhrauli	28	
3	दीप पूर्वी	7	कटमाखोर	Katmakhor	235	
		8	हरभंगा	Harbhanga		
		9	मधुरा तुलसिया टोल	Madhura Tulsiya Tol		
4	दीप पश्चिमी	10	दीप	Deep	235	
		11	देवही टोल	Devhi Tol	235	
		12	सिरपुर	Sirpur	235	
		13	मुसहरी	Musahri	235	
5	कैथिनिया	14	लक्ष्मीपुर	Laxmipur	235	
		15	बलभद्रपुर	Balbhadrapur	239	
		16	कैथिनिया	Kaithiniya	239	
6	बेहट उत्तरी एवं बेहट दक्षिणी मिलाकर 17 से 27 वार्ड तक कुल 11 वार्ड झंझारपुर नगर परिषद्				238	

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

———

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7397**––गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के अररिया संग्राम ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के झंझारपुर अंचल के अररिया संग्राम ओ0पी0 के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित "**अररिया संग्राम थाना"** के अन्तर्गत शामिल किया जाता है :–

क्र0	पंचायत का नाम	क्र0	गांव का नाम		प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या	थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	संग्राम	1	डुमरिया	Dumariya	145	पूर्व से अररिया संग्राम ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		2	सपहा	Sapha	145	
		3	अररिया	Arariya	145	
		4	तुलापतगंज	Tulapatganj	145	
		5	संग्राम	Sangram	145	
		6	रहमानगंज	Rahmanganj	145	
		7	मौआही	Mauaahi	145	
2	परसा	8	सोहपुर	Sohpur	152	
		9	सिंगदाहा	Singdaha	151	
		10	परसा	Parsa	153	
		11	चिरकुटा	Chirkuta	152	

		12	ननियौटी	Naniyauti	153	
3	पिपरौलिया	13	रेवाड़ी	Rewadi	300	
		14	कनकपुर	Kanakpur	302	
		15	पिपरौलिया	Piprauliya	146	
		16	धेपुरा	Dhepura	147	
		17	सिंदुरपुर	Sindurpur	301	
		18	बिस्ट्राल	Bistral	148	
		19	रघुनन्दनपुर	Raghunandanpur	149	
		20	खड़ौआ	Kharauaa	150	
4	नवानी	21	सिरखड़िया	Sirkhariya	155	
		22	परमानन्दपुर	Parmanandpur	224	
		23	नवानी	Nawani	225	
		24	गाड़ाटोल	Garatol	225	

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

———

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7398**––गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के नरहिया ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के लौकही/घोघरडीहा अंचल के नरहिया ओ0पी0 के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित **"नरहिया थाना"** के अन्तर्गत शामिल किया जाता है :–

क्र0	**पंचायत का नाम**	**क्र0**	**गांव का नाम**		**प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या**	**थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है**
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	बनगामा दक्षिणी	1	झिटकी	Jhitki	94	पूर्व से नरहिया ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		2	भूतहा	Bhutha	93	
		3	बलुवाहा	Baluwaha	93	
		4	नवटोली	Navtoli	92	
		5	मेन्हा	Menha	94	
		6	पिपराही	Piprahi	94	
2	बनगामा उत्तरी	7	बनगामा	Bangama	94	
		8	औरहा	Aurha	90	
3	नरहिया उत्तरी	9	महदेवा	Mahdeva	89	
		10	भगवानपुर	Bhagwanpur	88	
		11	सोहपुर	Sohpur	88	
		12	खिखरीपट्टी	Khikhripatti	88	
		13	मांगनपट्टी	Manganpatti	88	
		14	चिकनी टोल	Chikni Tol	88	
4	नरहिया दक्षिणी	15	सानानपट्टी	Sananpatti	91	
		16	नरहिया बाजार	Narahiya Bazar	88	
		17	चतरापट्टी	Chatrapatti	88	
		18	ननपट्टी	Nanpatti	88	
		19	गोट नरहिया	Got Narahiya	88	
5	बेलही भवानीपुर	20	सखुआ	Sakhua	89	

6	छजना	21	छजना	Chhajna	95	
		22	भपटियाही	Bhaptiyahi	97	
		23	सखुआ	Sakhua	97	
		24	कदमपुरा	Kadampura	97	
		25	तेलियारी	Teliyari	97	
		26	चतरापट्टी	Chatrapatti	88	
7	परसा उत्तरी	27	मझौरा	Majhaura	96	पूर्व से नरहिया ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
8	परसा दक्षिणी	28	लक्ष्मीनिया	Lakshminiya	95	
9	रामनगर	29	बैरियाही	Bairiyahi	98	

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

———

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7399**––गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के ललमनिया ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के खुटौना अंचल के ललमनिया ओ0पी0/लदनिया थाना के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित "**ललमनिया थाना**" के अन्तर्गत शामिल किया जाता है :–

क्र0	**पंचायत का नाम**	**क्र0**	**गांव का नाम**		**प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या**	**थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है**
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	ललमनिया	1	ललमनिया	Lalamaniya	01	पूर्व से ललमनिया ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		2	लतौनहा	Lataunha	02	
		3	तोरियाही	Toriyahi	01	
		4	घोरमोहना	Ghormohna	01	
		5	धनुशी	Dhanushi	01	
		6	बजार टोल	Bajar Tol	01	
2	बीरपुर	7	बीरपुर	Beerpur	03	
		8	भेलहा	Bhelha	03	
		9	बारापट्टी	Barapatti	03	
		10	बिशनपुर	Bishanpur	03	
		11	लक्षमिनिया टोल	Lakshminiya Tol	03	
		12	मोगलाहा	Moglaha	03	
		13	शंतनगर	Shantnagar	03	
3	कारमेघ पश्चिमी	14	मालीन बेलहा	Malin Belha	08	
		15	कोलहट्टा	Kolhatta	08	
		16	डुबरबौना	Dubarbauna	08	
		17	मंशापुर	Manshapur	08	
		18	गढ़िया	Gadhiya	08	
		19	भोलापुर	Bholapur	08	
4	कारमेघ उत्तरी	20	धत्ता टोल	Dhatta Tol	08	
		21	बरमोत्तरा	Barmottra	08	
5	कारमेघ मध्य	22	मेहशे	Mehshe	08	
		23	कारमेघ	Karmegh	08	
		24	जोकही गरेरी टोल	Jokhi Gareri Tol	08	

6	बीरपुर	25	बीरपुर पिन्डोल	Birpur Pindol	03	बीरपुर पिन्डोल गाँव को लदनिया थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बीरपुर पंचायत से काटा गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

---

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7400**––गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के पतौना ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के बिस्फी अंचल के पतौना ओ0पी0 के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित "**पतौना थाना**" के अन्तर्गत शामिल किया जाता है:–

क्र0	**पंचायत का नाम**	**क्र0**	**गांव का नाम**		**प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या**	**थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है**
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	जगवन पूर्वी	1	दमला घाट	Damla Ghat	175	पूर्व से पतौना ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		2	रथौस घाट	Rathous Ghat	175	
		3	कटैया	Kataiya	175	
		4	बरदाहा	Bardaha	175	
		5	बलभिण्डा	Balbhinda	175	
		6	मनिराबाद	Manirabad	175	
		7	चमेलिया	Chameliya	175	
		8	छोरैया	Choraiya	175	
2	जगवन पश्चिमी	9	मधपुर	Madhpur	175	
		10	जगवन	Jagwan	175	
		11	छपही टोला	Chhaphi Tola	175	
		12	लोहरबन्नी टोल	Loharbanni Tol	175	
3	रथौस	13	रथौस	Rathous	175	
		14	लोहरा	Lohra	175	
		15	सिबौल	Sibaul	175	
		16	दुरजौलिया	Durjauliya	175	
4	नाहस रूपौली दक्षिणी	17	नाहस	Nahas	175	
		18	खंगरैठा	Khangraitha	175	
		19	चन्द्रबाना	Chandrabana	175	
		20	रूपौली	Rupuali	175	
		21	नाहस पूर्वी टोल	Nahas Purvi Tol	175	
		22	नाहस पश्चिमी टोल	Nahar Paschimi Tol	175	
5	तीसी नरसाम दक्षिणी	23	पतौना	Patauna	175	
		24	परोही	Parohi	175	
		25	कठैला	Kathaila	175	
6	तीसी नरसाम उत्तरी	26	नरसाम	Narsam	175	पूर्व से पतौना ओ0पी0 के अन्तर्गत शामिल है।
		27	तीसी	Tisi	175	
		28	गढिया	Gadhiya	175	
		29	असुरा	Asura	175	

		30	रामसागर टोला	Ramsagar Tola	175	
7	परसौली उत्तरी	31	परसौनी उत्तर टोला	Parsauni Uttar Tola	175	
		32	परसौनी नवटोली	Parsauni Navtoli	175	
		33	परसौनी बिचलाटोल	Parsauni Bichlatol	175	
8	परसौनी दक्षिणी	34	उसराही	Usrahi	175	
		35	परसौनी	Parsauni	175	
		36	चौपाल टोल	Chaupal Tol	175	
9	नाहस रूपौली उत्तरी	37	गेनौर	Genaur	175	
		38	बजराहा	Bajraha	175	
		39	मुरलियाचक	Murliyachak	175	
		40	चभच्चा टोल	Chabhachcha Tol	175	
		41	रूपौली	Rupauli	175	
10	सोहांस	42	सोहांस	Sohans	175	
		43	केरवार	Kerwar	175	
		44	लाबा टोल	Laba Tol	175	
11	रघेपुरा	45	रघेपुरा	Raghepura	175	
		46	अजनौली	Ajnauli	175	
		47	बरहा	Barha	175	
		48	ईटहर	Ithar	175	
12	बेलौजा	49	जफरा	Jafra	175	
		50	मोकदमपुर	Mokdampur	175	
		51	तेघरा	Teghra	175	
		52	बेलौजा	Belauja	175	
		53	रामनगर जफरा	Ramnagar Jafra	175	

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

———

13 जून 2025

सं0 2/थाना–10–17/2024–**7401**––गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–2349 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2517 दिनांक 01.03.2024 द्वारा मधुबनी जिला के औंसी ओ0पी0 को थाना के रूप में उत्क्रमित किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न तालिका विनिर्दिष्ट गाँव जो अबतक मधुबनी जिला के बिस्फी अंचल के औंसी ओ0पी0/बिस्फी थाना के अन्तर्गत थे, आगे उसी जिला के नवउत्क्रमित "**औंसी थाना**" के अन्तर्गत शामिल किया जाता है:–

क्र0	**पंचायत का नाम**	**क्र0**	**गांव का नाम**		**प्रत्येक गांव का राजस्व थाना संख्या**	**थाना का नाम जिसके क्षेत्राधिकार से काटा गया है**
			हिन्दी में	अंग्रेजी में		
1	औंसी बभनगामा उत्तरी	1	औंसी गोट	Aunsi Goat	171	पूर्व से औंसी ओ0पी0 के अर्न्तगत शामिल है।
		2	बलाट	Balat	171	
		3	हसनापुर	Hasnapur	171	
		4	नया टोला	Naya Tola	171	
		5	बिचला टोला	Bichla Tola	171	
		6	मल्लाह टोली	Mallah Toli	171	
		7	औंसी डीह	Aunsi Dih	171	
2	औंसी बभनगामा दक्षिणी	8	बभनगंवा	Babhanganwa	171	
		9	खिखरीपट्टी	Khikharipatti	171	

		10	धेपुरा	Dhepura	171	
		11	राना टोला	Rana Tola	171	
		12	निजामचक	Nijamchak	171	
		13	जिरो माईल	Zero Myle	171	
3	खैरी बांका उतरी	14	डिस्कोचौक	Disko Chowk	171	खैरी बांका उत्तरी पंचायत के अन्तर्गत उक्त दोनों गाँव का आधा हिस्सा औंसी ओ0पी0 के क्षेत्राधिकार में हैं तथा आधा हिस्सा बिस्फी थाना के क्षेत्राधिकार में है।
		15	खोखनाही	Khokhnahi	171	
4	खैरी बांका दक्षिणी	16	खैरी बांका	Khari Banka	171	पूर्व से औंसी ओ0पी0 के अर्न्तगत शामिल है।
		17	बेहटा	Behta	171	
		18	हनुमाननगर	Hanumanagar	171	हनुमाननगर को बिस्फी थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत औंसी उत्तरी पंचायत से काटा गया है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार दास, उप सचिव।

———

ग्रामीण विकास विभाग

———

अधिसूचनाएं
13 जून 2025

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)ट्रैप-03/2020-4207594---श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक- 31.12.2019 को परिवादी श्री पुरूषोत्तम कुमार से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को कारा निरोध की तिथि 31.12.2019 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2020 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या- 461973 दिनांक 14.05.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री कुमार को निलंबनमुक्त करते हुए दिनांक 04.03.2020 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार/ भ्रष्टाचार का आरोप होने तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 054/2019 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 461983 दिनांक 14.05.2020 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि 04.03.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

श्री कुमार के निलंबन अवधि 6 माह से अधिक होने एवं श्री कुमार के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक- 23.12.2020 एवं उसके साथ संलग्न श्री प्रेमराज चौहान, पुलिस निरीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2020 के समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार को निलम्बन से मुक्त करने का

निर्णय लिया गया। विभागीय अधिसूचना सं0- 366091 दिनांक 21.01.2021 द्वारा श्री कुमार को निलबंन से मुक्त किया गया।

चूँकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक- 313 दिनांक 02.03.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार के विरुद्ध उल्लेखित निगरानी थाना कांड में अंतिम प्रतिवेदन (साक्ष्य की कमी) संख्या-50/2020 दिनांक- 25.11.2020 सक्षम न्यायालय (निगरानी कोर्ट) में समर्पित किया गया एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक- 14.08.2023 के साथ संलग्न माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, निगरानी मुजफ्फरपुर द्वारा निगरानी थाना कांड सं0- 54/2019 विशेष वाद सं0- 01/2020 में पारित आदेश दिनांक- 13.06.2023 में अंतिम प्रपत्र संख्या- 50/2020 दिनांक 25.11.2020 साक्ष्य की कमी के कारण स्वीकृत किया गया । विभाग द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0- 2364154 दिनांक 11.12.2023 द्वारा श्री कुमार को आरोप से मुक्त किया गया ।

श्री कुमार के द्वारा दिनांक- 23.01.2024 को समर्पित आवेदन में निलंबन अवधि दिनांक- 31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 तक का वेतन भुगतान का आग्रह विभाग से किया गया है। समीक्षोपरांत दिनांक-31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 तक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (3) के तहत निलंबन अवधि के वेतन भुगतान का आदेश प्राप्त है ।

अतः श्री राजीव रंजन कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर, वैशाली संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी का निलंबन अवधि दिनांक-31.12.2019 से दिनांक- 21.01.2021 के पूर्ण माह का वेतन भुगतान (पूर्व में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता को समायोजित करते हुए) करने की स्वीकृति दी जाती है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

———

20 जून 2025

सं0 R-503/73/2024-Section-14-RDD-RDD--4235397/ग्रा0वि0—श्री राहुल कुमार रंजन, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर प्रखंड, जिला- गया को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 11.12.2024 को परिवादी श्री रंधीर कुमार से 70,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 012/2024 दिनांक 10.12.2024 दर्ज होने की सूचना जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक- 8519 दिनांक- 12.12.2024 एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- एस0आर0-012/2024 निग0- **2792**/अप0शा0, पटना, दिनांक- 19**.12.2024** से दी गयी।

2. विभागीय अधिसूचना सं0- 3651412 दिनांक- 31.01.2025 द्वारा श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 11.12.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्री रंजन दिनांक- 27.03.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 28.03.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

4. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री रंजन को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-28.03.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

———

20 जून 2025

सं0 R-503/73/2024-Section-14-RDD-RDD --4235671/ग्रा0वि0––श्री राहुल कुमार रंजन, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर प्रखंड, जिला- गया को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 11.12.2024 को परिवादी श्री रंधीर कुमार से 70,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 012/2024 दिनांक- 10.12.2024 दर्ज होने की सूचना जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक- 8519 दिनांक- 12.12.2024 एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- एस0आर0-012/2024 निग0-**2792**/अप0शा0, पटना, दिनांक- 19**.12.2024** से दी गयी।

2. विभागीय अधिसूचना सं0- 3651412 दिनांक- 31.01.2025 द्वारा श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 11.12.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्री रंजन दिनांक- 27.03.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 28.03.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या-4235397 दिनांक-20.06.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री रंजन को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-28.03.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया ।

5. श्री रंजन के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है एवं इनके अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है ।

अतः श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

6. निलंबन अवधि में श्री रंजन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

7. निलंबन अवधि में श्री रंजन का मुख्यालय, प्रखंड कार्यालय पटना सदर (पटना) निर्धारित किया जाता है ।

8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव ।

———

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

———

अधिसूचना
29 मई 2025

सं0 कारा/स्था0(अधी0)–01–10/2019–3862––CWJC No.-5411/2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वाद से आच्छादित श्री जयशंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त काराधीक्षक का वेतनमान 01.01.1996 के प्रभाव से 6500–10500/– के स्थान पर 8000–13500/– स्वीकृत होने के फलस्वरूप पूर्व से प्राप्त वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) को उनके नाम के समक्ष स्तंभ–3 में अंकित तिथि एवं स्तंभ–4 में अंकित वेतनमान में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	वित्तीय उन्नयन की तिथि	वेतनमान
1	*2*	*3*	*4*
1	श्री जयशंकर प्रसाद	प्रथम ए0सी0पी0–09.08.1999	10000–15200 (अपुनरीक्षित) पी0बी0–3, ग्रेड पे–6600 (पुनरीक्षित)
		द्वितीय ए0सी0पी0–04.01.2008	पी0बी0–3, ग्रेड पे–7600 (पुनरीक्षित)

2. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–3637 दिनांक–10.04.2013 के आलोक में वेतन उन्नयन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान को देना अनिवार्य होगा।

3. उपर्युक्त के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं
7 मार्च 2025

सं0 01/स्था०–22/2024–1988(s)––पथ निर्माण विभाग के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 28.02.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा एवं अधिसूचना ज्ञापांक–636, दिनांक 10.01.2024 द्वारा विस्तारित समय–सीमा के आलोक में मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13A) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)/मेधा सूची क्रमांक
1	**2**	**3**
1	श्री कमल किशोर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता।	563 1989/154
2	श्री अंशुमान कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता।	589 1991/28
3	श्री बब्लु कुमार, अधीक्षण अभियंता।	658 1995/1
4	श्री विजय कुमार, अधीक्षण अभियंता।	660 1995/11

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में वरीय पदाधिकारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में कनीयतम् पदाधिकारी, जिसको विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त पदाधिकारी को विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

————————

7 मार्च 2025

सं0 01/स्था०–22/2024–1990(s)––पथ निर्माण विभाग के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 28.02.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा एवं अधिसूचना ज्ञापांक–636, दिनांक 10.01.2024 द्वारा विस्तारित समय–सीमा के आलोक में अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–13) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)/मेधा सूची क्रमांक
1	2	3
1	श्री सुनील कुमार सुमन, कार्यपालक अभियंता।	671 1995/62
2	श्री राम कुमार यादव, कार्यपालक अभियंता।	1029 2004/47
3	श्री सुनील कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता।	1031 2004/49
4	श्री साधु शरण, कार्यपालक अभियंता।	1037 2004/57
5	श्रीमती मृदुला नारायण सिन्हा, कार्यपालक अभियंता।	1073 2004/142
6	श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता।	1075 2004/144
7	श्री संजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता।	1108 2004/8
8	श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता।	1109 2004/9
9	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता।	1114 2004/14
10	श्री रजनीश रमण, कार्यपालक अभियंता।	1117 2004/17

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में वरीय पदाधिकारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में कनीयतम् पदाधिकारी, जिसको विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त पदाधिकारी को विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

————————

7 मार्च 2025

सं0 01/स्था०–22/2024–1992(s)––पथ निर्माण विभाग के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 28.02.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा एवं अधिसूचना ज्ञापांक–636, दिनांक 10.01.2024 द्वारा विस्तारित समय–सीमा के आलोक में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)/मेधा सूची क्रमांक
1	2	3
1	श्री सिकन्दर पासवान, सहायक अभियंता।	878 2008/2
2	श्री कांति भूषण, सहायक अभियंता।	932 2008/2

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में वरीय पदाधिकारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में कनीयतम् पदाधिकारी, जिसको विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त पदाधिकारी को विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

7 मार्च 2025

सं0 01/स्था०–22/2024–1994(s)––पथ निर्माण विभाग के अधीन निम्नलिखित पदाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 28.02.2025 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा एवं अधिसूचना ज्ञापांक–636, दिनांक 10.01.2024 द्वारा विस्तारित समय–सीमा के आलोक में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित उच्चतर पद का स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता (सिविल लिस्ट)/मेधा सूची क्रमांक
1	2	3
1	श्री अमियतोष कुमार, सहायक अभियंता।	2014/18

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रभावी रहने की स्थिति में वरीय पदाधिकारी के आरोप मुक्त होने की स्थिति में कनीयतम् पदाधिकारी, जिसको विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है, का कार्यकारी प्रभार तत्समय रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में समाप्त करते हुए आरोप मुक्त पदाधिकारी को विहित वेतनमान् सहित उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाएगा।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ निम्नरूपेण देय होगा :–

(क) संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक पूर्व धारित पद पर ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करेंगे तथा पूर्व से धारित पद के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

(ख) वैसे पदाधिकारी जो पूर्व से कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभार में है उन्हें अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन संबंधित उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना के विरूद्ध प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य में अर्हत्ता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर उन्हें प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान् के साथ उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

6. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गई है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

––––––––

7 अप्रील 2025

सं0 1/स्था०–21/2024–2996(s)––1. श्री सुनील कुमार, मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति अपने ही वेतनमान में अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) अतिरिक्त प्रभार अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–21/2024–2997(s)––2. श्री शैलेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

––––––––

7 अप्रील 2025

सं0 1/स्था०–02/2025–2999(s)––1. श्री प्रवीण चन्द्र गुप्ता, मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3000(s)––2. श्री विजय कुमार, मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3001(s)––3. श्री बब्लु कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना–1 के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3002(s)––4. श्री कमल किशोर प्रसाद, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3003(s)––5. श्री राज कुमार, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की सेवा वापस लेते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता (सीमांचल), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3004(s)––6. श्री जितेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को प्रभारी मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड–सह–प्रभारी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3005(s)––7. श्री संजय कुमार भारती, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन, पथ निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता (पथ संधारण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3006(s)––8. श्री राम कृष्ण प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की सेवा वापस लेते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3007(s)––9. श्री विजय कुमार, अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3008(s)––10. श्री सुनील कुमार सुमन, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सेवा वापस लेते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता–सह–मुख्य महाप्रबंधक–2, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3009(s)––11. श्री अंजनी कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3010(s)––12. श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3011(s)––13. श्री उमाशंकर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–02/2025–3012(s)––14. श्री उदय कुमार दास, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति उप मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को प्रभारी मुख्य अभियंता–2, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

———————

9 अप्रील 2025

सं0 1/स्था०–15/2025–3059(s)––1. श्री सिकन्दर पासवान, कार्यपालक अभियंता (अधिसूचित) सम्प्रति सहायक अभियंता (NH. RoB-2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–15/2025–3060(s)––2. श्री कांति भूषण, कार्यपालक अभियंता (अधिसूचित) सम्प्रति प्रभारी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–15/2025–3061(s)––3. श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में को निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–15/2025–3062(s)––4. श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (अधिसूचित) सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता–1, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग (दक्षिण), पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/स्था०–15/2025–3063(s)––5. श्री कृष्णानंद सिंह, कार्यपालक अभियंता (अधिसूचित) सम्प्रति सहायक अभियंता पथ अवर प्रमंडल, डुमरॉव, पथ प्रमंडल, बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (बजट–2), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सभी कार्यपालक अभियंता पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपना प्रभार ग्रहण कर लेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

––––––––

11 अप्रील 2025

सं0 01/पद सृजन–01/2021–3114(s)––विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित पद एवं आवंटित प्रमंडल हेतु 02 (दो) वर्ष या इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी होने में जो पहले हो तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	आवंटित प्रमंडल
1.	श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त बंदोबस्त पदाधिकारी।	मुख्य भू–अर्जन विशेषज्ञ	पटना
2.	श्री सुशील कुमार, सेवानिवृत्त निदेशक।	भू–अर्जन विशेषज्ञ	तिरहुत (मुजफ्फरपुर) एवं सारण (छपरा)
3.	श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता।	भू–अर्जन विशेषज्ञ	मगध (गया) एवं मुंगेर
4.	श्री निरोज कुमार भगत, सेवानिवृत्त नगर आयुक्त।	भू–अर्जन विशेषज्ञ	भागलपुर एवं पूर्णियाँ
5.	श्री ज्योति कुमार, सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता।	भू–अर्जन विशेषज्ञ	कोशी (सहरसा) एवं दरभंगा

2. मुख्य भू–अर्जन विशेषज्ञ/भू–अर्जन विशेषज्ञ को सेवा निवृत्ति के समय अपुनरीक्षित वेतनमान् में प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड–पे तथा पुनरीक्षित वेतनमान् में प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा, परंतु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।

3. उक्त पदाधिकारियों को निगरानी स्वच्छता अनुकूल रहने की प्रत्याशा में नियोजित किया जा रहा है। निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

4. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को इनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

5. उपर्युक्त नियोजित पदाधिकारी संबंधित जिले/प्रमंडल में सप्ताह में न्यूनतम 04 (चार) दिन एवं राज्य मुख्यालय में न्यूनतम 01 (एक) दिन प्रति सप्ताह रहकर कार्य करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

––––––––

24 मार्च 2025

सं0 1/बि०रा०पु०नि०–01/2025–2586(s)––बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसिएशन में निहित प्रावधान के अनुसार श्री मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अंशधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

24 मार्च 2025

सं0 1/बि०रा०पु०नि०–01/2025–2584(s)––श्री सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में अंशधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र०को०)।

————————

28 मार्च 2025

सं0 रा0उ0प0–25/विविध–12–19/2024–2799(s)––राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के अधीन राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–19 (नया राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–31) के कि0मी0 131.500 (मझनपुरा–मांझी) से कि0मी0 143.018 (ब्रहमपुर–छपरा) (कुल लम्बाई–11.518 कि0मी0) के पथांश को कार्यहित में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल छपरा को हस्तान्तरित किया जाता है ।

2. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग को कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा को हस्तान्तरित कर देंगे ।

3. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,
शैलजा शर्मा, अपर सचिव।

————————

19 मई 2025

सं0 निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019 –3940(s)––श्री भोगेन्द्र मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2018) अधीक्षण अभियंता के उक्त पदस्थापन अवधि में अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में पायी गयी अनियमितता के आलोक में संकल्प ज्ञापांक–9838 (एस) दिनांक 13.11.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री मंडल के विरूद्ध गठित किये गये आरोप के बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन, के अन्तर्गत अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से कि०मी० 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में अनियमितता बरती गयी।

(ii) निविदा निष्पादन के उपरांत मेसर्स बीरेन्द्र प्रसाद सिंह का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायत की गयी कि इस कार्य के लिए जो प्राक्कलन गठित किया गया, उसमें सरजमीन की आवश्यकता से अधिक मात्रा में सामग्री का प्रावधान कर दिया गया है, ताकि संवेदक एवं अभियंता के द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जा सके।

(iii) उक्त शिकायत पत्र के आलोक में आलोच्य पथ की जाँच उड़दस्ता प्रमंडल, संख्या–4 से करायी गयी, जिसके जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–192, दिनांक–11.08.2017 से निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित होता हैः–

(a) कि०मी० 33.00 से 45.60 के बीच existing नन बिटुमिनस लेयर 373.21mm पाया गया है, जबकि प्राक्कलन में 200mmदिखाया गया है।

(b) उक्त आलोच्य पथ के कि०मी० 33.0 से 45.6 हेतु प्राक्कलन में प्रावधानित Existing Crust के तुलना में स्थल पर उड़नदस्ता दल द्वारा Crust Thickness अधिक पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि Exaggerated प्राक्कलन का गठन किया गया है

(c) तथ्यों से विदित होता है कि तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, डिहरी–ओन–सोन ने बिना कार्यस्थल का भ्रमण किये हुए प्राक्कलन बनाया है।

उपर्युक्त पायी गयी त्रुटियाँ यह सिद्ध करता है कि आलोच्य कार्य के लिए गठित प्राक्कलन Exaggerated था, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके। इसके लिए श्री भोगेन्द्र मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता दोषी प्रतीत होते है।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–148 अनु०, दिनाक 31.03.2023 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मण्डल के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर इसकी प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्राक–3769 (एस) दिनांक 03.07.2023 के द्वारा श्री मण्डल से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री मण्डल ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 08.10.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

3. श्री मण्डल ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से अंकित किया है कि उड़नदस्ता जाँच दल के द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप तीन चैनेज पर तीन स्थान (Left, Right एवं Middle) में पथ कटिंग कर Thickness की जाँच नहीं की गयी है।

उपर्युक्त के संबंध में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न Thickness Chart से स्पष्ट होता है कि आलोच्य पथ के जिन पथांशों के संबंध में आरोप लगाया गया था, उनमें से 02 कि०मी० यथा–37वे एवं 42वें कि०मी० का चयन कर निर्धारित पद्धति के अनुरूप तीन चैनेज पर तीन स्थान (Left, Right एवं Middle) में पथ की कटिंग कर Thickness की जाँच की गयी है। इस प्रकार श्री मंडल का यह कहा जाना कि पथ की जाँच निर्धारित पद्धति के अनुरूप नहीं की गयी है, तथ्यगत नहीं है। विभागीय तकनीकी समति द्वारा भी इस तथ्य को संपुष्ट किया गया है।

4. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री भोगेन्द्र मण्डल के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य, दिनांक 08.10.2023 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध ''बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत इनके पेंशन से पॉच वर्षो के लिए 05% की कटौती'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। निर्णित दण्ड पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक–5573 (एस) दिनांक 14.11.2024 के द्वारा सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–20, दिनांक 01.04.2025 के द्वारा उपर्युक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः श्री भोगेन्द्र मण्डल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2018) अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत इनके पेंशन से पॉच वर्षो के लिए 05% की कटौती।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

————————

19 मई 2025

सं0 निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019 –3942(s)––श्री विजय शंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–29.02.2020) सहायक अभियंता के उक्त पदस्थापन अवधि में अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–9660 (एस) दिनांक 06.11.2019 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक–9837 (एस) दिनांक 13.11.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री प्रसाद दिनांक 29.02.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गये, जिसके फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक–2371 (एस) दिनांक 20.04.2020 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–36 (एस) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा उन्हें उनके सेवानिवृति की तिथि 29.02.2020 के अपराह्न से निलंबन मुक्त किया गया। श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित किये गये आरोप के बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन, के अन्तर्गत अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से कि०मी० 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में अनियमितता बरती गयी।

(ii) निविदा निष्पादन के उपरांत मेसर्स बीरेन्द्र प्रसाद सिंह का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें शिकायत की गयी कि इस कार्य के लिए जो प्राक्कलन गठित किया गया, उसमें सरजमीन की आवश्यकता से अधिक मात्रा में सामग्री का प्रावधान कर दिया गया है, ताकि संवेदक एवं अभियंता के द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जा सके।

(iii) उक्त शिकायत पत्र के आलोक में आलोच्य पथ की जाँच उड़दस्ता प्रमंडल, संख्या–4 से करायी गयी, जिसके जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–192, दिनांक–11.08.2017 से निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित होता है:–

(a) कि०मी० 33.00 से 45.60 के बीच existing नन बिटुमिनस लेयर 373.21mm पाया गया है, जबकि प्राक्कलन में 200mmदिखाया गया है।

(b) उक्त आलोच्य पथ के कि०मी० 33.0 से 45.6 हेतु प्राक्कलन में प्रावधानित Existing Crust के तुलना में स्थल पर उड़नदस्ता दल द्वारा Crust Thickness अधिक पाया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि Exaggerated प्राक्कलन का गठन किया गया है।

(c) तथ्यों से विदित होता है कि तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, डिहरी–ओन–सोन ने बिना कार्यस्थल का भ्रमण किये हुए प्राक्कलन बनाया है।

उपर्युक्त पायी गयी त्रुटियाँ यह सिद्ध करता है कि आलोच्य कार्य के लिए गठित प्राक्कलन Exaggerated था, ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके। इसके लिए श्री विजय शंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता दोषी प्रतीत होते है।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–146 अनु०, दिनाक 31.03.2023 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच

प्रतिवेदन से सहमत होकर इसकी प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्राक–3770 (एस) दिनांक 03.07.2023 के द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रसाद ने पत्रांक–32, दिनांक 16.08.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

3. श्री प्रसाद ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से अंकित किया है कि उड़नदस्ता जाँच दल के द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप तीन चैनेज पर तीन स्थान (Left, Right एवं Middle) में पथ कटिंग कर Thickness की जाँच नहीं की गयी है।

उपर्युक्त के संबंध में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न Thickness Chart से स्पष्ट होता है कि आलोच्य पथ के जिन पथांशों के संबंध में आरोप लगाया गया था, उनमें से 02 कि०मी० यथा–37वे एवं 42वें कि०मी० का चयन कर निर्धारित पद्धति के अनुरूप तीन चैनेज पर तीन स्थान (Left, Right एवं Middle) में पथ की कटिंग कर Thickness की जाँच की गयी है। इस प्रकार श्री प्रसाद का यह कहा जाना कि पथ की जाँच निर्धारित पद्धति के अनुरूप नहीं की गयी है, तथ्यगत नहीं है। विभागीय तकनीकी समति द्वारा भी इस तथ्य को संपुष्ट किया गया है।

4. श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि पथ में पाये गये अवयवों की ग्रेडिंग एवं गुणवत्ता की जाँच नहीं की गयी, जबकि तथ्य यह है कि आरोप का बिन्दु अवयवों की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है, बल्कि प्राक्कलन बनाने में Existing crust की मुटाई को वास्तविकता से कम दर्शाये जाने से संबंधित है। अतः आरोपी का उक्त कथन तथ्यगत नहीं है।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री प्रसाद ने अपने उत्तर में यह भी अंकित किया है कि उनके द्वारा विषयांकित उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन को मान्नीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है एवं उक्त वाद में I.A भी दायर किया गया है।

इस संबंध में तथ्य यह है कि श्री प्रसाद के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-307/2020 दायर किया गया था, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा I.A भी दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद को दिनांक 20.06.2023 को पारित न्यायादेश के तहत वादी के याचिका को Disposed of कर दिया गया है। इस न्यायादेश में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः आरोपी द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किये जाने संबंधी संदर्भ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

6. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री विजय शंकर प्रसाद के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–32 अनु०, दिनांक 16.08.2023 को अस्वीकृत करते उनके विरूद्ध ''बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत इनके पेंशन से पॉच वर्षो के लिए 05% की कटौती'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। निर्णित दण्ड पर नियमानुसार विभगीय पत्रांक–5590 (एस) दिनांक 14.11.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–18, दिनांक 01.04.2025 के द्वारा उपर्युक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः श्री विजय शंकर प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–29.02.2020) सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत इनके पेंशन से पॉच वर्षो के लिए 05% की कटौती।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

————————

16 मई 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ) विविध–07/2025 –3866(s)––श्री सुशील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, गया सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (बजट), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पथ प्रमंडल संख्या–01, गया के पदस्थापन अवधि में गंभीर अनियमितता बरती गयी। उनके द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–01, गया अन्तर्गत तीन पथ यथा–(1) भिण्डस से चमडी, (2) वजीरगंज से तपोवन एवं (3) शेवतर से जमुआंवा पथ के निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्रियों के संबंध में संवेदक मेसर्स राजा कन्सट्रक्शन के द्वारा द्वितीय दावा राशि के भुगतान की मांग पर बिना जाँच–पड़ताल किये अग्रेतर कार्रवाई की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(i) भिण्डस से चमडी पथ कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्रियों के संबंध में संवेदक के द्वितीय दावा राशि भुगतान संबंधी अनुरोध के आलोक में श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–641 अनु०, दिनांक 27.04.2017 द्वारा अधीक्षण अभियंता मगध पथ अंचल, गया से अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध के आलोक में अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–744 अनु०, दिनांक 18.05.2017 द्वारा GSB के $10125.54M^3$ एवं BM का $5164.75M^3$ का द्वितीय Extra carriage का दावा राशि 2,50,37,610.00 (दो करोड़ पचास लाख सैतीस हजार छः सौ दस) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ii) वजीरगंज से तपोवन पथ के निर्माण कार्य में प्रयुक्त संवेदक के द्वितीय दावा राशि भुगतान संबंधी अनुरोध के आलोक में श्री कुमार के द्वारा पत्रांक–2136 अनु० दिनांक 22.12.2016 द्वारा अधीक्षण अभियंता मगध पथ अंचल, गया से अनुरोध किया गया। उनके अनुरोध के आलोक में अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–242 अनु०, दिनांक 13.02.2017 द्वारा GSB

के $40000M^3$ पत्थर का द्वितीय Extra carriage का दावा राशि 6,48,82,413.00 (छः करोड़ अड़तालीस लाख बेरासी हजार चार सौ तेरह) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iii) शेवतर से जमुआंवा पथ के निर्माण कार्य में प्रयुक्त संवेदक के द्वितीय दावा राशि भुगतान संबंधी अनुरोध के आलोक श्री सुशील कुमार के द्वारा पत्रांक–642 अनु०, दिनांक 27.04.2017 द्वारा संवेदक के द्वितीय दावा राशि के भुगतान की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता से अनुरोध किया गया। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया के पत्रांक–745 अनु०, दिनांक 18.05.2017 द्वारा $41589.76M^3$ पत्थर का द्वितीय Extra Carriage Cost का दावा राशि रुपये 5,69,98,436.00 (पाँच करोड़ उनहत्तर लाख अन्ठानवे हजार चार सौ छत्तीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा समर्पित किये गये M एवं N Form तथा चालान प्रारंभ से ही संदिग्ध था तथा जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–1253/एम दिनांक 08.08.2024 द्वारा उसके सत्यापन/संपुष्टि संबंधी वर्ष 2015 में निर्गत पत्रों का उनके कार्यालय से निर्गत नहीं बताया गया है। श्री कुमार के द्वारा मामले को संदिग्ध होने के बावजूद भी बिना जाँच किये, संवेदक के दावा राशि की भुगतान संबंधी कार्रवाई की गयी, जो उनका संवेदक के साथ मिली–भगत कर सरकारी राशि के दुरूपयोग की मंशा को परिलक्षित करता है।

3. उपर्युक्त मामले में श्री कुमार दोषी प्रतीत होते है। अतः उनको बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा।

5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु नियमानुसार अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

———————

16 मई 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ) विविध–07/2025–3868(s)––श्री रितेश चन्द्र सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, गया के द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गयी। यथा,– पथ प्रमंडल, संख्या–01, गया के अन्तर्गत (1) भिण्डस से चमडी, (2) वजीरगंज से तपोवन एवं (3) शेवतर से जमुआंवा पथ कार्य में प्रयुक्त खनिज सामग्रियों के संबंध में संवेदक से प्राप्त M & N Form तथा चालान के सत्यापन से संबंधित वर्ष 2014–15 में निर्गत पत्रों के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–1253/एम, दिनांक 08.08.2024 के द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किये गये थे। स्पष्ट है कि इस कार्य में संवेदक को किये गये दावा राशि का भुगतान संबंधी कार्रवाई संदिग्ध है।

2. उपर्युक्त के बावजूद श्री सिन्हा के द्वारा भुगतान किये गये राशि के संबंध में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या राशि वसूली से संबंधित कार्रवाई नहीं की गयी, बल्कि इसके 01 माह बाद अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, गया से परामर्श मांगा गया। इसके अतिरिक्त सोशल मिडिया पर गलत सूचना आने पर जब माननीय उप मुख्य (तदेन पथ निर्माण) मंत्री महोदय के द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी तब श्री सिन्हा के द्वारा जिन तथ्यों की जानकारी दी गयी वह प्रथम दृष्ट्या गलत भुगतान को दबाने का प्रयास प्रतीत होता है।

3. उपर्युक्त मामले में श्री सिन्हा दोषी प्रतीत होते है। अतः उनको बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा।

5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

6. इनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

———————

16 मई 2025

सं0 निग/सारा–(उ0बि0रा0उ0प0)उड़नदस्ता–94/2013–3876(s)––राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–107 के कि०मी० 121 से कि०मी० 124 के पथ कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए सरकार को हुये 254.70 लाख की क्षति की वसूली संवेदक बंसल कॉन्ट्रैक्टर्स (इण्डिया) लि० से नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियॉ को विभागीय पत्रांक–5406, दिनांक 22.09.2017 द्वारा उक्त संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेश दिया गया। सरकार को हुये वित्तीय क्षति की राशि की वसूली नहीं होने की स्थिति में संवेदक के विरूद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन किया गया अथवा नहीं,

के संबंध में विभागीय पत्रांक–5433 दिनांक 01.08.2018 द्वारा तत्समय पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, श्री शैलेन्द्र भारती, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ से सूचना की मांग की गयी। पुनः उक्त के संबंध में मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्र प्राप्ति के साथ ही वांछित सूचना विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री भारती को विभागीय पत्रांक–223, दिनांक 09.01.2019 द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री भारती से संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु बार–बार दूरभाष पर भी अनुरोध किया जाता रहा है, जिसकी स्वीकारोक्ति भी श्री भारती के द्वारा पत्रांक–931, दिनांक 02.09.2019 के द्वारा की गयी है।

श्री भारती द्वारा इतने गंभीर मामले में संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु सहायक अभियंता को अधिकृत करते हुए बार–बार स्मारित किया गया। श्री भारती द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर स्थानीय थाने पर जाकर समन्वय स्थापित किये जाने का प्रयास नहीं किया गया। संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु श्री भारती के पत्रांक–1187 अनु०, दिनांक 01.10.2019 के द्वारा केवल पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ से सहायक थाना–जानकीनगर को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री भारती द्वारा वर्ष 2019 के पश्चात मामले में कोई अभिरूचि नहीं ली गयी है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉ से व्यक्तिगत रूप से मिलकर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया प्रतीत नहीं होता है, जबकि विभाग द्वारा संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने हेतु बार–बार पत्र/दूरभाष पर निदेश दिया जाता रहा है।

उक्त मामले से ही संबंधित श्री सुबोध कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत एवं मो० गुलाम हुसैन, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध भी निलाम पत्र वाद दायर किये जाने के संबंध में दिये गये विभागीय निदेशों के अनुपालन में श्री भारती द्वारा जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियॉ को विहित प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त वाद के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु श्री भारती के स्तर से मात्र जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियॉ से पत्राचार ही किया जाता रहा है। निलाम पत्र वाद की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु कभी व्यक्तिगत रूप से मिलकर जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियाँ से समन्वय स्थापित किये जाने का प्रयास नहीं किया गया।

2. श्री भारती के द्वारा उक्त विभागीय निदेशों की अवहेलना किये जाने तथा इतने गंभीर मामले में व्यक्तिगत अभिरूचि नहीं लिये जाने के क्रम में विभागीय पत्रांक–4558 (एस) दिनांक 09.09.2021 द्वारा श्री भारती से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री भारती के पत्रांक–1401(अनु0) दिनांक–17.09.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया है। श्री भारती के द्वारा अपने स्पष्टीकरण उत्तर में निम्न तथ्य रखा गया है :–

(क) श्री भारती द्वारा कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियॉ के रूप में दिनांक–02.07.2018 को प्रभार ग्रहण किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के पत्रांक–1045 दिनांक–06.10.18 द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया था कि उक्त राशि यथाशीघ्र कार्यालय में जमा कर दी जाय। विभागीय आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु श्री भारती द्वारा अनेक पत्र के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु अथक प्रयास किया जाता रहा है। सहायक अभियंता, बनमंखी के द्वारा पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार किया गया। इसकी सूचना विभाग को भी समर्पित है।

(ख) उक्त संबंध मे श्री भारती द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉ से व्यक्तिगत सशरीर उपस्थित होकर अनुरोध किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त हो पाया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाया। तत्पश्चात कार्यालय पत्रांक–1187 अनु० दिनांक–16.10.19 द्वारा पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉ से सहायक थाना जानकीनगर को निदेशित किये जाने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर बराबर प्रयास किया गया था। उपरोक्त तथ्यों की सूचना विभाग को भी समर्पित किया जाता रहा है। विदित हो कि पत्रांक–1187 अनु० दिनांक–16.10.2019 के आलोक में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा भी वर्तमान पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉ को निदेशित करने के बावजूद भी अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पायी है।

(ग) श्री सुबोध कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवा निवृत एवं मो० गुलाम हुसैन, तदेन कनीय अभियंता के विरूद्ध भी नीलाम पत्र वाद दायर किये जाने हेतु विभागीय निदेशों के अनुपालन में श्री भारती द्वारा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, पूर्णियॉ से अनेक बार पत्राचार किया जाता रहा है। उक्त नीलाम पत्र वाद की अद्यतन स्थिति की सूचना विभाग को भी कार्यालय के अनेक पत्र के माध्यम से भेजी गयी है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से बराबर समन्वय स्थापित किया जाता रहा है। श्री भारती द्वारा कार्यालय के कनीय लेखा लिपिक श्री दिलीप कुमार को भी कई बार जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के कर्मचारी से मिलकर कार्य कराया जाता रहा है। श्री भारती द्वारा अथक प्रयास सरकारी कार्यहित में किया गया था।

3. श्री शैलेन्द्र भारती द्वारा आलोच्य मामले में सरकार को हुई वित्तीय क्षति के लिए संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं आरोपित अभियंताओं के विरूद्ध Certificate Case दायर करने के मामले में अपने आप को मात्र पत्राचार किये जाने तक सीमित रखा। व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर एवं जिम्मेवारी पूर्वक इस कार्य के निर्वहन में सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिसके कारण इस दिशा में तत्समय कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री भारती द्वारा अपने स्तर से सार्थक प्रयास किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। श्री भारती के द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण विभाग को बाध्य होकर अपर मुख्य सचिव के स्तर से जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को अर्द्ध–सरकारी पत्र निर्गत किया जाना पड़ा।

4. उपर्युक्त के आलोक में श्री शैलेन्द्र भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), भोजपुर, पथ अंचल, आरा (अतिरिक्त प्रभार) अधीक्षण अभियंता, भोजपुर, पथ अंचल, आरा, के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत उनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 **(i)** एवं **(iv)** के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या–6333(एस) सहपठित ज्ञापांक–6334(एस) दिनांक–27.12.2022 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) "आरोप वर्ष 2018–19 के लिए निन्दन की सजा"।

(ii) "दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

5. उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री भारती ने पत्रांक–शून्य दिनांक–20.01.2023 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समीक्षोपरान्त पाया गया की श्री भारती द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में मुख्य रूप से समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किय गये तथ्यों/तर्कों को ही नये सिरे से दूहराया गया। श्री भारती द्वारा ऐसा कोई भी ठोस एवं खण्डनयुक्त तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उनके विरूद्ध निर्गत दण्डोदश पर पुनर्विचार किया जा सके। मामले की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री भारती द्वारा संबंधित संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में अपने दायित्वों को मात्र पत्राचार करने तक सीमित रखा गया। श्री भारती द्वारा यथोचित प्रयास नहीं करने के कारण ही संवेदक के विरूद्ध तत्समय प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा सका। इस प्रकार श्री भारती के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया और प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक ही उनके विरूद्ध लघु दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसके फलस्वरूप श्री भारती के समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार करने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं पाया गया।

अतएव उक्त वर्णित स्थिति में श्री शैलेन्द्र भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), भोजपुर, पथ अंचल, आरा (अतिरिक्त प्रभार) अधीक्षण अभियंता, भोजपुर, पथ अंचल, आरा के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–20.01.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

———————

3 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–80/2020–2889(s)––श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.03.2019) के उक्त पदस्थापन अवधि में एस०एच०–68 उपहारा–सेनारी पथ में कराये गये कार्यों के उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आलोच्य कार्य में पायी गयी त्रुटि, यथा– पथ के कि०मी० 03 से कराये गये SDBC Gr-II एवं BM Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा कम पाये जाने के आरोप सहित पूर्व में विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किये जाने संबंधी विभागीय निदेश की अवहेलना किये जाने के संदर्भ में आरोप पत्र के तहत् कुल 03 आरोप गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7011(एस) दिनांक–18.12.2020 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप के बिन्दु क्रम से निम्नवत् हैं:–

(i) पथ के 3रें कि०मी० में कराये गये SDBC Gr. II में अलकतरा की मात्रा 3.76% पायी गयी है, जो कि प्रावधानित मात्रा से कम है।

(ii) पथ के 3रें कि०मी० में कराये गये BM Gr. II में अलकतरा की मात्रा 2.23% पायी गयी है, जो कि प्रावधानित मात्रा से कम है।

(iii) श्री सिंह से उक्त पायी गयी त्रुटियों के लिए विभागीय पत्रांक–4570 (एस), दिनांक–19.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो उनके द्वारा निर्धारित समय अवधि में समर्पित नहीं किया गया। तद्पोरांत स्मार पत्रांक–727, दिनांक 21.01.2019, स्मार पत्रांक–3377 (एस) दिनांक–15.03.2019 एवं स्मार पत्रांक–4510 (एस), दिनांक–03.05.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित करते हुए स्मारित किया गया। श्री सिंह ने स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया, जो विभागीय निदेशों की अवहेलना एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

3. संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक–1572 अनु० दिनांक–30.06.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें आरोप संख्या–(i) एवं (ii) को प्रमाणित होने संबंधी मंतव्य तथा आरोप संख्या–(iii) को अप्रमाणित होने संबंधी मंतव्य गठित किया गया है। विभागीय समीक्षोपरान्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पत्रांक–6060(एस) दिनांक–06.10.2023 के द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन के रूप में पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। निर्धारित अवधि में एतद् संबंधी उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक–7492(एस) दिनांक–29.12.2023 के द्वारा श्री सिंह को स्मारित कराया गया। उक्त दोनों

पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से निबंधित प्रेषित की गयी थी, जिसके Track Consignment Details से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह को उक्त पत्र की प्राप्ति भी हुयी। साथ ही विभाग द्वारा श्री सिंह को निबंधित डाक के माध्यम से भेजे गये उक्त दोनों पत्र वापस प्राप्त नहीं हुये। इससे प्रतीत होता है कि आरोपी श्री सिंह को उक्त दोनों विभागीय पत्रों की तामिला हो जाने के बावजूद, उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर जानबूझ कर नहीं दिया गया, जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत् आरोपी को तत्संबंधी उत्तर समर्पित करने हेतु 15 दिनों का प्रावधान किया गया है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.03.2019) के द्वारा जानबूझ कर द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप संख्या–(i) एवं (ii) को प्रमाणित किये जाने के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री सिंह को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् उनके पेंशन से ''5% की कटौती 05 वर्षों तक'' किये जाने के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ।

5. उपर्युक्त अनुमोदित दण्ड पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक–4750 (एस) दिनांक 25.09.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्रांक–4833, दिनांक 06.03.2025 के द्वारा उक्त अनुमोदित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया है। अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31.03.2019) के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''**05 प्रतिशत पेंशन की कटौती 05 (पाँच) वर्षो तक।**''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

————————

22 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–विविध–01/2013–3223(s)––श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बक्सर सम्प्रति स्वैच्छिक सेवानिवृत (दिनांक–31.08.2013) से उक्त पदस्थापन अवधि में ब्रह्मपुर–कोरानसराय पथ के कि०मी० 0 से 24.00 में CRF निधि से कराये गये चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के अन्तर्गत लीड की राशि के दावा (Claim) की स्वीकृति के बिना किये गये संवेदक को भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–8057 (एस) दिनांक 10.10.2013 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार ने पत्रांक–01 अनु०, दिनांक 22.10.2013 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–5271 (एस) दिनांक 16.06.2017 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नलिखित है :–

(i) पथ प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत ब्रहमपुर–कोरानसराय पथ के 0 से 24 कि0मी0 में सी0आर0एफ0 निधि से कराये गये कार्य में संवेदक द्वारा प्रयुक्त स्टोन एग्रीगेट स्वीकृत स्थान करवंदिया– सासाराम से न लाकर डाला एवं अहरौरा (उत्तर प्रदेश) से लाया गया, जिसके लिए 10th A/c Bill से अतिरिक्त लीड की राशि ₹1,87,69,854 (एक करोड़ सतासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये) का संवेदक को भुगतान करने हेतु श्री कुमार के पत्रांक–308 दिनांक–05.03.11 द्वारा claim के रूप में अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को सूचित किया गया कि संवेदक को नये स्वीकृत मार्ग करबंदिया–सासाराम से स्टोन एग्रीगेट लाकर कार्य करना था, परन्तु सासाराम में स्टोन एग्रीगेट की पर्याप्त मात्रा एवं विशिष्टियों के अनुरूप ग्रेडिंग का स्टोन एग्रीगेट उपलब्ध नहीं रहने के कारण संवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अहरौरा एवं डाला से स्टोन एग्रीगेट लाकर विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराया गया, जिसकी दूरी स्वीकृत एलाइमेन्ट करबंदिया–सासाराम से अधिक है।

(ii) श्री कुमार के उक्त पत्र के आलोक में अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक–585 अनु0 दिनांक–09.06.11 द्वारा उक्त लीड के भुगतान के स्वीकृति को अमान्य करार करते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। तत्कालीन कार्यपालक अभियंताके रूप में श्री कुमार के द्वारा अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के उक्त पत्र के द्वारा दिये गये निर्देश को नजर अंदाज करते हुए अतिरिक्त लीड की राशि ₹1,87,69,854 (एक करोड़ सतासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये) का भुगतान संवेदक को किया गया, जिसे कार्यपालक अभियंता के कार्यालय आदेश संख्या–15–सहपठित ज्ञापांक–151 दिनांक–30.01.13 द्वारा अवैध माना गया। इस प्रकार उच्चाधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उक्त अवैध भुगतान के लिए श्री कुमार का दायित्व परिलक्षित होता है।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–647 अनु, दिनांक 12.03.2022 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–01 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या–02 को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–5428 (एस) दिनांक 02.11.2022 के द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार को भेजा गया द्वितीय कारण–पृच्छा पत्र वापस लौट गयी, तदालोक में दिनांक 22.05.2023 को सभी हिन्दी समाचार पत्रों में इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति छपवाई गयी। प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में श्री कुमार

का पत्र दिनांक 23.05.2023 प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उनका वर्त्तमान पता–बंगलोर, कर्नाटक स्थानांतरित हो चुका है। उनके स्थानांतरित पते पर पुनः विभागीय पत्रांक–3374 (एस), दिनांक 14.06.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री दिलीप कुमार ने पत्र दिनांक 22.06.2023 एवं 02.07.2023 के द्वारा एतद् संबंधी द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया। उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के विभागीय समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता (दक्षिण) से Extra lead के भुगतान के अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। उन्होंने विभाग को प्रेषित एतद् संबंधी प्रतिवेदन में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए अतिरिक्त लीड के रूप में भुगतान की राशि रुपये 1,87,69,854/–मात्र के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य अंकित किये है :–

(i) प्रमंडल में उपलब्ध अन्तिम विपत्र एवं मापीपुस्त के अनुसार कुल रुपये 1,37,06,058/–का विपत्र पारित होने हेतु लंबित है।

(ii) इसके अतिरिक्त Escalation विपत्र की अन्तिम राशि रुपये 22,39,964/– है, जिसको भी पारित होना शेष है।

(iii) उक्त दोनों विपत्रों को पारित कर समायोजन करने के उपरांत भी अतिरिक्त भुगतान की राशि रुपये 1,87,69,854/– में से रुपये 1,59,46,022/– समायोजन के उपरांत रुपये 28,23,832/– का समायोजन हेतु शेष रहेगा।

(iv) जमा जमानत की राशि रुपये 67,50,000/– के BG के विरूद्ध रुपये 69,61,892/– का ड्राफ्ट हेतु संबंधित बैंक से पत्राचार वर्ष 2014 तक किया गया है, किन्तु राशि प्राप्त नहीं हुआ है।

3.1 मुख्य अभियंता ने प्रतिवेदित किया है कि रुपये 1,87,69,854/– मात्र का भुगतान किया गया है तथा अमान्य हो जाने के उपरांत वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी है। साथ ही अन्तिम विपत्र पारित कर समायोजन का भी प्रयास नहीं किया गया। अन्तिम विपत्र, मूल्य वृद्धि का विपत्र पारित हो जाता तो भी तकरीबन रुपये 28,23,832/–(पूर्व पत्र में यह राशि रुपये 29,61,892/–है), का समायोजन शेष रहता। जमा जमानत की राशि के बदले BG रुपये 67,50,000/– भी प्रदान किया गया है तथा उक्त BG से भी असमायोजित राशि का समायोजन हेतु नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गयी है ।

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री दिलीप कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर के द्वारा निदेशों का अवहेलना करते हुए अतिरिक्त लीड की राशि रुपये 1,87,69,854/– (एक करोड़ सत्तासी लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ चौवन रुपये) मात्र का भुगतान किया गया है। इस भुगतान को अमान्य हो जाने की स्थिति में इसके वसूली हेतु त्वरित कार्रवाई भी नहीं की गयी है। अतः समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के द्वारा श्री दिलीप कुमार के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत "**50% पेंशन की कटौती 10 वर्षो तक**" किये जाने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। निर्णित दण्ड को संसूचित किये जाने से पहले नियमानुसार विभागीय पत्रांक–684, दिनांक 29.01.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पत्रांक–19, दिनांक 01.04.2025 से उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बक्सर सम्प्रति स्वैच्छिक सेवानिवृत (दिनांक–31.08.2013) के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"**50% पेंशन की कटौती 10 वर्षो तक।**"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

———————

22 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021–3221(s)––श्री सरफराज खाँ, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.07.2019) से उक्त पदस्थापन अवधि में बड़हिया–मिनी–बाईपास पथ के कुल 0.80 कि०मी० पथांश में विविध कार्य, ड्रेन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य एवं साधारण मरम्मति कार्य सहित पी०सी०सी० कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–9713 (एस) दिनांक 20.12.2018 एवं स्मार पत्रांक–4506, दिनांक 03.05.2019, पत्रांक–9019 (एस) दिनांक 09.10.2019, पत्रांक–440 (एस) दिनांक 16.01.2020 तथा पत्रांक–6090 (एस) दिनांक 19.10.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण एवं स्मार पत्रों के बावजूद भी श्री सरफराज खाँ ने अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किया, फलतः अग्रेतर जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–5894 (एस), दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नवत है :–

(i) पथ के Ch 0+000से Ch 0+700 तक के अधिकांश भाग के पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया एवं लगभग Ch 0+550 पर Longitudinal Joint के पास पथ परत लभगग $1m^2$ area में break होकर टूटा हुआ पाया गया।

(ii) पथ के Ch 0+700 से Ch 0+800तक पथ परत का उपरी सतह LHS के अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त पाया गया एवंRHS में पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया।

(iii) Construction joint, Expansion joint एवं Longitudinal joint के गैप को filler material से भरा हुआ नहीं पाया गया।

(iv) पथ के Ch 0+550 से Ch 0+750तक में लभगग 50मी० की लंबाई में Draincover किया हुआ नहीं पाया गया। साथ ही उक्त पथ में कराये गये Drain Cover का कार्य Proper levellingनहीं किये जाने के कारण Drain क्रियाशील स्थिति में नहीं पाया गया।

(v) आलोच्य पथ के PQC कार्य की मुटाई प्रावधान (300mm) से कम 251.41mmपाया गया।

(vi) आलोच्य पथ के PQC कार्य की average equivalent cubical compressive strength of core 140.89 kg/cm^2 पाया गया।

(vii) उक्त आरोप संख्या–(i) से (vi) में पायी गयी त्रुटियों के लिए श्री सरफराज खाँ से विभागीय पत्रांक–9713 (एस), दिनांक 20.12.2018 एवं बाद के स्मार पत्रों क्रमशः विभागीय पत्रांक–4506 (एस), दिनांक 03.05.2019, पत्रांक–9019 (एस), दिनांक 09.10.2019, पत्रांक–440 (एस), दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक–6090 (एस), दिनांक 19.10.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सरफराज खाँ ने उक्त विभागीय पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी अभी तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया है, जो स्पष्ट रूप से विभागीय आदेशों/निदेशों का अवहेलना है।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1178 अनु०, दिनांक 21.12.2022 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–(ii), (iii) एवं (v) को प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक–2606 (एस) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा श्री सरफराज खाँ से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री सरफराज खाँ ने पत्र दिनांक 24.07.2023 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें आरोप संख्या–(ii) के संबंध में कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय समीक्षा के क्रम में इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जबकि आरोप संख्या–(iii) के संबंध में श्री सरफराज खाँ द्वारा Construction Joint, Expansion Joint एवं Longitudinal Joint में Filler Material का नहीं पाये जाने का कारण बरसात का मौसम बताया गया है। बरसात में Joints से Filler Material में आंशिक रूप से क्षरण हो सकता है। अतः आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

इसी तरह आरोप संख्या–(v) को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित प्रतिवेदित किया है, जिसके संबंध में आरोपी पदाधिकारी ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा 1st कि०मी० में 3 Section पर कुल 09 (नौ) बिन्दुओं पर Thickness का Measurement किया गया है एवं सभी बिन्दुओं पर Cement, Concrete Pavement का Thickness प्रावधानित Thickness से कम पाया गया है। अतः आरोप संख्या–(v) को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

4. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री सरफराज खाँ के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्र दिनांक 24.07.2023 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत ''**तीन वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती**'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। निर्णित दण्ड को संसूचित किये जाने से पूर्व नियमानुसार विभागीय पत्रांक–5693 (एस) दिनांक 18.11.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–21, दिनांक 01.04.2025 के द्वारा उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री सरफराज खाँ, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.07.2019) के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''**तीन वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती।**''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

————————

22 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–37/2021 –3247(s)––श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2020) से उक्त पदस्थापन अवधि में बड़हिया–मिनी–बाईपास पथ के कुल 0.80 कि०मी० पथांश में विविध कार्य, ड्रेन कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य एवं साधारण मरम्मति कार्य सहित पी०सी०सी० कार्य में पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–9714 (एस) दिनांक 20.12.2018 एवं बाद के स्मार पत्रों के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मांझी ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 27.10.2020 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित

किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5895 (एस), दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नवत है :–

(i) पथ के Ch 0+000से Ch 0+700 तक के अधिकांश भाग के पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया एवं लगभग Ch 0+550 पर Longitudinal Joint के पास पथ परत लभगग 1m^2 area में break होकर टूटा हुआ पाया गया।

(ii) पथ के Ch 0+700सेCh 0+800तक पथ परत का उपरी सतह LHS के अधिकांश भाग में क्षतिग्रस्त पाया गया एवं RHS में पथ सतह पर खुरदरापन/Scaling पाया गया।

(iii) Construction joint, Expansion joint एवं Longitudinal joint के गैप को filler material से भरा हुआ नहीं पाया गया।

(iv) पथ के Ch 0+550सेCh 0+750तक में लभगग 50मी० की लंबाई में Draincover किया हुआ नहीं पाया गया। साथ ही उक्त पथ में कराये गये Drain Cover का कार्य Proper levellingनहीं किये जाने के कारण Drain क्रियाशील स्थिति में नहीं पाया गया।

(v) आलोच्य पथ के PQCकार्य की मुटाई प्रावधान (300mm) से कम 251.41mmपाया गया।

(vi) आलोच्य पथ के PQC कार्य की average equivalent cubical compressive strength of core 140.89 kg/cm^2 पाया गया।

2. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–1050 अनु०, दिनांक 06.09.2022 से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप संख्या–(ii), (iii) एवं (v) को प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में विभागीय पत्रांक–2605 (एस) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा श्री मांझी से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री मांझी ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 11.07.2023 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें आरोप संख्या–(ii) के संबंध में कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में विभागीय समीक्षा के क्रम में इसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। जबकि आरोप संख्या–(iii) के संबंध में श्री मांझी द्वारा Construction Joint, Expansion Joint एवं Longitudinal Joint में Filler Material का नहीं पाये जाने का कारण बरसात का मौसम बताया गया है। बरसात में Joints से Filler Material में आंशिक रूप से क्षरण हो सकता है। अतः आरोप को विभागीय समीक्षा के क्रम में इस हद तक प्रमाणित माना गया है।

इसी तरह आरोप संख्या–(v) को संचालन पदाधिकारी ने प्रमाणित प्रतिवेदित किया है, जिसके संबंध में आरोपी पदाधिकारी ने कोई ठोस तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा 1st कि०मी० में 3 Section पर कुल 09 (नौ) बिन्दुओं पर Thickness का Measurement किया गया है एवं सभी बिन्दुओं पर Cement, Concrete Pavement का Thickness प्रावधानित Thickness से कम पाया गया है। अतः आरोप संख्या–(v) को भी विभागीय समीक्षा के क्रम में प्रमाणित पाया गया है।

4. मामले की सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में सक्षम प्राधिकार के स्तर से श्री राजेन्द्र मांझी के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य, दिनांक 11.07.2023 को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत ''**तीन वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती**'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। निर्णित दण्ड को संसूचित किये जाने से पूर्व नियमानुसार विभागीय पत्रांक–5692 (एस) दिनांक 18.11.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–17, दिनांक 01.04.2025 के द्वारा उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री राजेन्द्र मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2020) के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''**तीन वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती।**''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

————————

4 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–04 (पथ) आरोप–28/2021 –2904(s)––श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति अन्य मामले में निलंबित कार्यपालक अभियंता से उक्त पदस्थापन अवधि में वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर अंतर्गत IRQP of SH-74, लंगरी–पाकड़–अम्बारा पथ एवं प्रमंडल अन्तर्गत सभी पुल/पुलियों के Water

Way की साफ–सफाई के कार्य में अप्रत्याशित शिथिलता और उदासीनता बरते जाने के लिए विभागीय पत्रांक–2407(एस) दिनांक–27.05.2021 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार द्वारा पत्रांक–1106 दिनांक–02.06.2021 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक–3551(एस) दिनांक–26.07.2021 द्वारा कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर से हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ एवं लंगरी–पाकड़–अम्बारा पथ में संवेदक पर LD impose करने की पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक–1587 दिनांक–31.07.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरान्त पायी गयी निम्नांकित 02 आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3413(एस) अनु० दिनांक–30.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः–

(i) हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ SH-74 के संदर्भ में दिनांक–04.09.2020 को समय वृद्धि की स्वीकृति के दौरान विभागीय निविदा समिति द्वारा निर्णित 5% LD जब्त करने के निदेश के बावजूद श्री कुमार द्वारा समय वृद्धि मद में काटी गयी राशि को संवेदक को वापस किया गया।

(ii) लंगरी–पाकड़–अम्बारा पथ के संदर्भ में दिनांक–23.11.2020 को विभागीय निविदा समिति द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति के दौरान 5% LD जब्त करने के दिये गये निदेश को पुनः दिनांक–12.04.2021 को विभागीय निविदा समिति द्वारा यथावत रखने के निदेश के बावजूद श्री कुमार द्वारा संवेदक को समय वृद्धि मद में काटी गयी राशि को वापस किया गया।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–323 अनु० दिनांक–28.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का अधिगम/निष्कर्ष दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों से सहमत होते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–3535(एस) अनु० दिनांक–27.06.2023 द्वारा लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री कुमार द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–05.10.2023 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य/तर्क अंकित किये गयेः–

(i) श्री कुमार का कहना है कि विभाग द्वारा गठित किया गया आरोप एवं उपलब्ध कराये गये इससे संबंधित साक्ष्य दोनों परस्पर विरोधाभाषी है। विभागीय निविदा समिति द्वारा दिया गया निदेश यह है कि इस पर 5% Security Deposit LD जब्त रहेगा। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि कुल तीन प्रकार के विभिन्न मदों की राशि का उल्लेख किया गया है। SBD के प्रावधानों के अनुसार Security Deposit की राशि अलग होती है, LD की राशि अलग होती है और समय वृद्धि मद में काटी गयी राशि अलग हाती है। SBD (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग होता है) के Clause 1A में Recovery of Security Deposit (SD), Clause 2 में Compensation for delay (Liquidated Damage-LD) एवं Clause 5 में Time and Extension for Delay (सामान्यतः EOT कहा जाता है) का वर्णन है। उक्त तीनों राशि (SD, LD एवं EOT) बिल्कुल अलग–अलग प्रकार की राशि होती है। दिनांक–04.09.2020 के विभागीय निविदा समिति के निर्णय में 5% Security Deposit (SD) LD जब्त करने का निदेश है। ऐसी स्थिति में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गयी कि 5% मात्र LD जब्त करना है या 5% मात्र SD जब्त करना है या 5% दोनों (SD एवं SD) जब्त करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय निविदा समिति का लिया गया निर्णय परस्पर विरोधाभाषी है। गठित आरोप के अवलोकन से से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा संभवतः उक्त तीनों राशि (SD, LD एवं EOT) को एक ही प्रकार की राशि समझे जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

(ii) श्री कुमार का कहना है कि नियमानुसार विभाग द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति जब प्रदान कर दी जाती है तब पूर्व में समय वृद्धि के मद में संवेदक के विपत्र से काटी गयी राशि को उन्हें वापस कर दी जाती है। इसी प्रकार की कार्रवाई इनके द्वारा भी किया गया है। चूँकि विभागीय निविदा समिति द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी, इसलिए इनके द्वारा इस मद में काटी गयी राशि को वापस कर दिया गया। यह कोई अनियमितता नहीं है। इसी प्रकार की कार्रवाई विभाग अंतर्गत प्रत्येक प्रमंडल द्वारा की जाती है।

(iii) इनका कहना है कि आलोच्य कार्य में पूर्व से संवेदक के विपत्र से LD मद में कोई राशि की कटौती नहीं की गयी थी, क्योंकि तत्समय तक LD मद में राशि कटौती करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए विभागीय निविदा समिति द्वारा दिये गये निदेश के अनुरूप LD की राशि जप्त रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक SD की राशि जप्त करने का प्रश्न है तो इस संबंध में स्पष्ट करना है कि SD के मद में काटी गयी सम्पूर्ण राशि (100%) इनके पदस्थापन के समय तक प्रमंडल में सुरक्षित जमा था। चूँकि विभागीय निविदा समिति द्वारा LD की राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया गया था, इसलिए इसके अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक–534 दिनांक–05.03.2021 (हाजीपुर–लालगंज–वैशाली पथ के संबंध में) एवं पत्रांक–536 दिनांक–05.03.2021 (लंगड़ी–पाकर–अम्बारा पथ के संबंध में) के द्वारा नियमानुसार संवेदक के आगामी

विपत्र से 4% LD रोक रखने का आदेश निर्गत किया गया। यदि उक्त निर्णय के पश्चात् संवेदक का अगला कोई विपत्र भुगतान हेतु प्राप्त होता तो निश्चित रूप से विपत्र की राशि से 4% LD के मद में कटौती करने की कार्रवाई की जाती।

(iv) कालान्तर में जब उक्त बिन्दु पर विभाग द्वारा पृच्छा की गयी तो तत्समय पदस्थापित कार्यपालक अभियंता (श्री सुनील कुमार चौधरी) के द्वारा कार्यालय पत्रांक–1587 दिनांक–31.07.2021 के माध्यम से विभाग को आधा–अधूरा एवं अस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री चौधरी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि– विपत्रों से LD मद में न कोई राशि रोक रखी गयी है, न ही कोई कटौती की गयी है। पूर्व में किंचित विपत्रों से समय वृद्धि मद में की गयी कटौती की राशि का समयवृद्धि की स्वीकृति के साथ वापस की जा चुकी है। परन्तु श्री चौधरी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्यालय के पत्रांक–534 दिनांक–05.03.2021 एवं पत्रांक–536 दिनांक–05.03.2021 के द्वारा संवेदक के आगामी विपत्रों से LD कमद में 4% की राशि रोक रखने का निर्णय लिया गया है।

(v) यह भी अंकित किया गया है कि एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य समाप्त नहीं हो पाता है तो कार्य समाप्त करने हेतु अवधि विस्तारित किया जाता है, जो विषयांकित मामले में भी हुआ है। यदि कार्य को विस्तारित अवधि में समाप्त नहीं किया जाता है तो संवेदक की Security Deposit को जप्त (Forfeit) करने का प्रावधान SBD के Clause 5 में है। चूँकि संवेदक का Security Deposit (SD) 100% प्रमंडल में सुरक्षित जमा था, जिसे उक्त प्रावधान के अनुसार जब्त करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं थी।

(vi) आरोप संख्या–(ii) के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि इनके विरूद्ध गठित किया गया दूसरे आरोप की प्रकृति भी प्रथम आरोप के समरूप है, मात्र पथ के नाम की भिन्नता है। इसलिए दूसरे आरोप के संबंध में अलग से स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम आरोप के संबंध में अंकित किये गये उक्त तथ्यों को ही दूसरे आरोप में भी इनका उत्तर समझा जाय।

4. श्री कुमार के उक्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। समिति के द्वारा मामले की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकार करने की अनुशंसा की गयीः–

(i) श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा समयवृद्धि मद में काटी गयी राशि संवेदक को वापस किया गया है।

(ii) दोनों योजनाओं के समयवृद्धि के विभागीय स्वीकृत्यादेश में Liquidated Damage (LD) जब्त करने का आदेश है, किन्तु दोनों योजनाओं में LD में राशि की कटौती नहीं हुयी है। साथ ही दोनों योजनाओं के किंचित विपत्रों में समयवृद्धि मद में कटौती की गयी राशि संबंधित संवेदकों को वापस कर दी गयी है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर एवं विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर विचारणीय नहीं पाते हुये इसे अस्वीकृत कर दिया गया एवं प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (i) एवं 14 (vi) के तहत् ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' एवं ''निन्दन (आरोप वर्ष 2020–21)'' के दंड प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरान्त विभागीय पत्रांक–5262(एस) अनु० दिनांक–25.10.2024 द्वारा ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' के निर्णित वृहत श्रेणी के दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी।

6. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–5088 दिनांक–21.03.2025 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' के निर्णित दंड प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। तद्लोक में श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता मुख्यालय–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध निम्न दंड संसूचित किया जाता हैः–

(i) ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' ।

(ii) ''निन्दन (आरोप वर्ष 2020–21)''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

————————

7 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–(एन०एच०)–उड़नदस्ता–53/2018 –2938(s)––श्री विनय किशोर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सीवान द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–131A के कि०मी० 55.12 से कि०मी० 70 तक किये गये IRQP कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा किया गया। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन

के समीक्षोपरान्त पायी गयी 01 (एक) त्रुटि/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–1459(एस) अनु० दिनांक–23.02.2018 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह के स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर समर्पित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–2057 (एस) दिनांक–15.03.2018 एवं पत्रांक–2481(एस) दिनांक–27.03.2018 से स्मारित किया गया, परन्तु श्री सिंह के द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में आलोच्य पथ में BC Grade-II कार्य के अन्तर्गत अलकतरा की औसत मात्रा 4.07 प्रतिशत पायी गयी, जो प्रावधान 5.4 प्रतिशत तथा विभागीय टॉलरेन्स लिमिट 4.19 प्रतिशत से कम पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा दिनांक–27.07.2018 को आहूत बैठक में अन्य अरोपितों से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त संलग्न अन्य अभियंताओं के मामले में पाये गये दोष के अनुरूप श्री सिंह का भी दायित्व निर्धारित किया गया।

उक्त के आलोक में श्री सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सीवान को सरकार के निर्णयानुसार सम्यक् विचारोपरान्त इनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(v) के तहत् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–266–सह–पठित ज्ञापांक–7665(ई०) दिनांक–06.11.2018 द्वारा इनके विरूद्ध **''तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''** का दंड संसूचित किया गया।

3. संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक–शून्य अनु० दिनांक–06.12.2018 के द्वारा अपना पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। श्री सिंह के द्वारा अपने समर्पित पुनर्विचार अर्जी में मुख्य रूप से विषयांकित मामले में ही संबंधित संवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा दो वर्षों के लिए निलंबित किये जाने एवं कम मात्रा में उपयोग किये गये अलकतरा की राशि की वसूली किये जाने का दंड अधिरोपित किये जाने के पश्चात् संवेदक द्वारा इसके विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–4555 दिनांक–04.07.2018 द्वारा संवेदक के निलंबन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया। साथ ही, कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04, पथ निर्माण विभाग को विषयांकित पथ के प्रत्येक दो (02) कि०मी० पर संवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बिटुमिन की मात्रा की जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिया गया। श्री सिंह ने विभाग को समर्पित जाँचफल के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक–7947 दिनांक–26.11.2020 के द्वारा की गई समीक्षा के उपरान्त संवेदक के मामले को समाप्त किये जाने को अपने बचाव का आधार बनाया गया।

इसी क्रम में श्री सिंह के द्वारा एक अन्य अभ्यावेदन दिनांक–14.02.2022 विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें उड़नदस्ता प्रमण्डल संख्या–04 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक के विरूद्ध अन्तिम रूप से लिये गये निर्णय को आधार बनाते हुए उनके विरूद्ध संसूचित लघु दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। अभियंता प्रमुख के द्वारा उड़नस्ता प्रमण्डल संख्या–04 के दिनांक–01.08.2018 को जाँचोपरान्त उपलब्ध कराये गये गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए मामले से संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की विवेचना की गयी है, जिसमें कार्यपालक अभियंता के अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने का मंतव्य इस आधार पर दिया गया है कि, टी०टी०आर०आई० द्वारा विभाग के सभी प्रमण्डलों के संपादित कार्यों का गुणवत्ता जाँच किया जाता है। संदर्भित मामले में जिस प्रमण्डल द्वारा कार्य का संपादन कराया गया है, उसी प्रमण्डल यथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ अधीनस्थ गुण नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा द्वितीय गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदित किया गया है, जो टी०टी०आर०आई० द्वारा किये गये जाँच के कि०मी० पथांश से अलग लोकेशन एवं भिन्न पथांश हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि अलकतरा विभागीय टॉलरेंस मानक से कम है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। श्री सिंह द्वारा भी अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को अंकित किया गया है, जो तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अंकित किया गया था। इसलिए उसी आधार पर श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को भी अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री विनय किशोर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमण्डल, मैरवा, पथ प्रमण्डल, सीवान के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–06.12.2018 को अस्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bihar.gov.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

————————

No. 569––I, Chhama D/o Satish Dutt. Tiwari, R/o Plot No.-07 K. No. 10, Guliya Enclave, Ekta Vihar Najafgarh, Ditt. South West Delhi-110043 Permanent R/o Mohalla Khajanchi Road, Tiwari Building, P.O.-Bankipore, Patna Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1820, dt. 15.04.25 that my name is written in my Aadhar card is Chhama. whereas in all educational documents as Chhama Tiwari. Both names are same and one person. From now I will be known as Chhama Tiwari for all purposes.

Chhama.

————————

No. 582––I, Sunita Kumari Yadav W/o Sanjay Kumar R/o Mohalla quar-ter no. 64 A.P. Colony Post + P.S. Rampur Gaya-823001 Bihar do hereby solemnly affirm and de-clare as per aff.no. 729 dt. 31.05.25 that my name is written in my daughter Manshi Singh's secondary school examination and senior school examination. Passed certificate as Sunita Kumari as per Aadhar Card and Matric certificate my correct name is Sunita Kumari Yadav. Both name are same and one per-son. From now I will be known as Sunita Kumari Yadav for all purposes.

Sunita Kumari Yadav.

————————

No. 583––I, Sunita Kumari Yadav W/o Sanjay Kumar R/o Mohalla quarter no. 64 A.P. Colony Post + P.S. Rampur Gaya-823001 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Affidavit No.-730, dated 31.05.25 that my name is written in my son Abhijeet Singh's secondary school examination passed certificate as Sunita Kumari as per Aadhar Card as well as Matric certificate my correct name is Sunita Kumari Yadav. Both name are same and one person. From now I will be known as Sunita Kumari Yadav for all purposes.

Sunita Kumari Yadav.

————————

सं0 584––मैं स्मृति (SMRITI) पिता श्री अनिल कुमार सिन्हा, पता- सुभाष नगर (खेमनीचक), पो. – न्यू जगनपुरा, थाना-रामकृष्ण नगर, जिला-पटना-800027, बिहार, शपथ पत्र संख्या-238, दिनांक 29/03/2025 के द्वारा घोषणा करती हूं कि अब मैं भविष्य में सभी कार्य हेतु स्मृति सिन्हा (SMRITI SINHA) के नाम से जानी और पहचानी जाउंगी।

स्मृति (SMRITI).

————————

No. 585––I, Sanju Ray, D/o Om Prakash Singh, W/o Santosh Kumar, R/o Ward No.- 04, Vill.-Sirdilpur, Sirdilpur, P.S.-Patory, Dist.-Samastipur (Bihar)-848504, Present R/O M.1.G.-272, Mohalla-Kankarbagh, P.S.- Kankarbagh, P.O.-Lohiya Nagar, Dist :- Patna-800020. That in my Aadhar card my name mentioned as Sanju Ray & in my matric certificate my name is Sanju Kumari. That Sanju Kumari & Sanju Ray are the names of same and one person. That I shall only be known as Sanju Ray for all purposes vide affidavit No. 1440 Dtd-29/05/2025.

Sanju Ray.

No. 586––I, Anandmani S/o Shashi Bhushan Singh, Vill-Dighi, Ward No.-6, P.S.-Murliganj, District-Madhepura, Bihar-852122 do solemnly affirm and declare as Affidavit No. 596, dated 29.05.2025 that I want to add surname to Rathore. That my name has been recorded as Anandmani in my all educational certificates and Aadhar Card, Pan Card. That from now I will be know as Anandmani Rathore for all future purposes.

Anandmani.

————————

No. 587––I, Sima Devi, W/o Rajeev Kumar. R/o. Village+P.O.+P.S. Asthawah. Distt.-Nalanda, Bihar-803107 Vide affidavit No.-1285, Date 19.5.25. That my Husband service book Part II in my name is written as SIMA DEVI That Sima Kumari and Sima Devi both are same and one person. That from now I shall be known as SIMA DEVI for all purposes.

Sima Devi.

————————

सं0 590––मैं आशा सिन्हा, पति-शशि भूषण प्रसाद, पता-मकान नं.2, उत्तम नगर कॉलोनी एम्स-वाल्मी रोड, मौजा- भुसौला दानापुर, पो.+था.+अंचल-फुलवारीशरीफ़, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड -801505 शपथ पत्र सं.4736 दिनांक 29.04.25 के अनुसार आशा देवी के नाम से जानी जाऊँगी ।

आशा सिन्हा ।

No. 590––I, ASHA Sinha, W/O Shashi Bhushan Prasad, R/O House no.2, Uttam Nagar Colony AIIMS-WALMI Road, Mauza–Bhusaula Danapur, Post+PS+Anchal–Phulwarisharif, Dist.-Patna (Bihar), Pin–801505 vide affidavit no.4736 dated 24.04.2025 to be known as Asha Devi in place of Asha Sinha for all purposes.

ASHA Sinha.

————————

No. 591––I, Nirpendra Kumar Singh S/o Late Shiv Shankar Singh R/o D-12, Police Colony, Anisabad, Patna, Bihar-800002 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2659 dt. 24.05.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Nripendra Kumar Singh whereas in P.P.O. and Residential Certificate as Nirpendra Kumar Singh. Both names are same and one person. From now I will be known as Nirpendra Kumar Singh for all purposes.

Nirpendra Kumar Singh.

————————

No. 592––I, Mamata W/o Praful Kumar Ojha D/o Rampukar Tripathy, R/o Mathiyapur Vastuvihar, Akluchak Aragiyaghat, Ward No. 10, Danapur, P.O.-Danapur Cantt., Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff no. 13350 dt. 10.03.25 that my name is written in my minor son Aditya Kumar Ojha's class 10th all educational documents as Mamta Ojha which is wrong. As per Aadhar Card my true/correct name is is Mamata. Both names are same and one person. From now I shall be known as Mamata for all purposes.

Mamata.

सं0 593––मैं रूबी कुमारी (Rubi Kumari) पति-पंकज कुमार सिंह, ग्राम-धर्मपुर, पोस्ट-बिछिआंव, थाना-संदेश, जिला-भोजपुर, बिहार-802206 द्वारा घोषणा करती हूं कि मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम रूबी कुमारी (Rubi Kumari) दर्ज है जो सही है। जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम रूबी पंकज सिंह (Rubi Pankaj Singh) दर्ज है जो गलत है। शपथ पत्र सं. 16117, दिनांक 28.02.2025 के द्वारा घोषणा करती हूं कि सभी कार्यों एवं उद्देश्यों हेतु रूबी कुमारी (Rubi Kumari) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

रूबी कुमारी (Rubi Kumari).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bihar.gov.in